राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 278/2023

अमरसिंह एवं अन्य **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सर्किल उदयपुर, उदयपुर।
4. सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सब–डिवीजनल–III, उदयपुर।
5. सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सब–डिवीजनल–iv, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 17.08.2023
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस. बिस्सा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति हेल्पर के पद पर हुई थी और वर्तमान में यह पम्प चालक–II के पद पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सर्किल उदयपुर, उदयपुर में कार्यरत है। प्रार्थी ने अधिकरण के सक्षम यह अपील हेल्पर के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से अर्ध–स्थायी की अनुमति एवं अपना वरिष्ठता सूची में नाम शामिल करवाने के संदर्भ में संयुक्त अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् का आगे कथन है कि अपीलार्थीगण को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर अलग–अलग दिनांकों को नियुक्ति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.08.1995 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीगण को अर्द्धकुशल व कुशल घोषित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.1998 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थीगण को अर्द्धस्थायी घोषित कर बेलदार के पद पर नियुक्ति किया गया जो क्रमांक संख्या क्रमशः 57, 58 एवं 82 पर अंकित है। अपीलार्थीगण योग्यता के अनुसार हेल्पर के पद पर पदोन्नति के हकदार थे, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इन्हें बेलदार के

पद पर अर्द्धस्थायी का दर्जा दिया है। जिससे व्यथित होकर कई कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2932/2009 दुर्गा सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से बेलदार के स्थान पर हेल्पर के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2008 (अनुलग्नक–4) के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया। जिसके तहत 8वीं पास योग्यता वाले सभी पात्र बेलदारों को अपीलार्थी के साथ हेल्पर के पद पर अपग्रेड किया गया। बाबूलाल मेघवाल, कर्मचारी को दिनांक 19.02.2014 के आदेश के तहत हेल्पर के पद पर अपग्रेड किया गया। इससे व्यथित होकर बाबूलाल मेघवाल ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4635/2014 दायर की जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 के द्वारा याचिका स्वीकार कर ली गई और अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी हेल्पर की दिनांक से समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 02 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अर्द्धस्थायी की दिनांक से समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने का निवेदन किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 (अनुलग्नक–6) के द्वारा तकनीकि कर्मचारियों की डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। जिसके तहत सभी सर्कल/डिवीज/उप–डिवीजन के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई। अपीलार्थीगण को हेल्पर के पद पर अपग्रेड करने की दिनांक से दिखाया गया है जबकि अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को जिसकों हेल्पर के पद पर अर्द्ध–स्थायी का दर्जा दिया गया था, को नियुक्ति तिथि से दिखाया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने संयुक्त अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.03.1998 को अपास्त कर संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2008 हेल्पर के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से अर्द्ध–स्थायी घोषित कर अपीलार्थीगण को समस्त पारिणामिक लाभों का भुगतान किया जावे एवं अपीलार्थीगण का नाम वरिष्ठता सूची में नियुक्ति तिथि से शामिल किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी को पूर्व में ही नियमानुसार

समस्त परिलाभ प्रदान कर दिए गए है एवं योग्यताधारी अन्य समान कार्मिकों को भी दिनांक 01.06.1994 से अर्द्ध स्थाई किया जाकर बेलदार का पद दिया जा चुका है, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समस्त वित्तीय परिलाभ प्रदान किए जा चुके है, अतः अपील अपीलार्थी खारिज करने योग्य है। इसलिए इस अपील को खारिज फरमायी जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

5. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण में संयुक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं, नियमानुसार संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती जिस हेतु अपीलार्थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता यदि आवश्यक समझे तो वे प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अलग–अलग अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी की अपील में राजकीय अधिवक्ता ने सहमति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4035/2014 बाबुलाल मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 का प्रकरण अपीलार्थी के समान बताया है जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा याचियों को स्वतंत्र रूप से अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि प्रकरण में चूंकि विधिक प्रश्न निहित है, जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत अपील अपीलार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय के आलोक में अपीलार्थी संख्या 02 रामसिंह चुंडावत एवं अपीलार्थी संख्या 03 हीरालाल अहीर, का प्रकरण अपीलार्थी से पृथक किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी संख्या 02 रामसिंह चुंडावत एवं अपीलार्थी संख्या 03 हीरालाल अहीर पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

6. अपीलार्थी अमर सिंह ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, की अपील का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4635/2014 उनवानी बाबुलाल मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 निम्नानुसार है :–

> Learned AGC Shri NK Mehta, representing the respondents is not in a position to dispute that the controversy involved in the case at hand and the one examined by this Court in Durga Singh's case is exactly identical. Durga Singh was inducted in service of the

respondents much after the petitioner and there was an allegation of break in service against him but despite that, the Court accepted his writ petition directing the responde its to confer semi permanent status upon Sh.Durga Singh on completing two years of service in the work charged cadre.

In the opinion of this Court, the reasoning given by the respondents for justifying the delay in upgrading and regularizing the petitioner on the post of Helper is absolutely flimsy. Rectification in the petitioner's father's name in the service record was simply a clerical job and had no connection.

whatsoever with the petitioner's claim for substantive service benefits to which he is entitled as of right alike all the other Beldars in the respondent department. The benefits were to be conferred upon the petitioner as per the statute, to be specific, the Rules of 1964 and the State Government's decision to upgrade all the Beldars in the work charged cadre.

In this background, the writ petition deserves to be and is hereby accepted. The respondents are directed to confer similar benefits to the petitioner alike the ones extended to the other similar work-charged Beldars in the respondent department. He shall be conferred semi permanent status upon completing two years of service ie. on 17.6.1994. All subsequent benefits of absorption and upgradation to the post of Helper shall be conferred upon the petitioner as per his entitlement alike the action taken in the cases of other similar employees. He shall also be entitled to all consequential benefits.

7. हमारे विनम्र मत में उक्त न्यायिक निर्णय के सापेक्ष अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जात है कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करन के 04 सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण नियमानुसार कर सम्यक रूप से अपीलार्थी को सूचित किया जावे। इस अपील का उक्त निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

1.

2.

3.

4.

5.

6. उप सचिव, जनस्वास्थ्य, जयपुर के पत्र दिनांक 09.09.2008 एवं मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के आदेश दिनांक 24.09.2008 के द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पात्र पाये जाने पर मुख्य अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 06.10.2008 द्वारा दिनांक01.01. 1995 तक 18 नवम्बर तक 8वीं कक्षा की योग्यताधारी कार्यप्रभारित बेलदारों को कार्यप्रभारित सहायक के पद पर पदोन्नत कर, सर्कल उदयपुर में अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत, उदयपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 06.10.2008 दिये गये अनुमोदन एवं निर्देशों की अनुपालना में अमर सिंह चौहान व रामसिंह